

रिपोर्ट पटवारी व नू-अभिलेख निरीक्षक-

महो, रिपोर्ट है कि ग्राम कालीपहाड़ी के जमाबंदी बंकर 2 के जमा संख्या 137 में 'महेन्द्र सिंह पुत्र जवाहरराम' तथा सुरेन्द्र सिंह पुत्र जवाहरराम दर्ज है जबकि मूल दस्तावेजों जैसे भाघार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि में 'महेन्द्र सिंह पुत्र जवाहरराम' व 'सुरेन्द्र सिंह पुत्र जवाहरराम' है अतः मूल दस्तावेजों के आधार पर जमाबंदी में जमीन का नाम 'सुरेन्द्र सिंह पुत्र जवाहरराम' के स्थान पर 'सुरेन्द्र सिंह पुत्र जवाहरराम' व 'महेन्द्र सिंह पुत्र जवाहरराम' के स्थान पर 'महेन्द्र सिंह पुत्र जवाहरराम' लिखा जाना इच्छित होगा।

188
25/5/23

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार-
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023

19/5/23
प.सं. 19/5/23

पटवार हका जपपहाड़ी व अ.अ.नि. इस्लामपुर की रिपोर्ट के आधार पर अनुज्ञेय की जाती है।

19/5/23
तहसीलदार
सुरेन्द्र

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुरेन्द्र सिंह पुत्र जवाहरराम व महेन्द्र सिंह पुत्र जवाहरराम के स्थान पर सुरेन्द्र सिंह पुत्र जवाहरराम व महेन्द्र सिंह पुत्र जवाहरराम नाम सुरेन्द्र पुत्र लिखा जाना है। जमाबंदी के शेष इन्डॉप मर्यादा रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
सुरेन्द्र (राज.)

शिविर प्रभारी अधिकारी
(भोहर सहित)